National Bal Bhavan,
Kotla Road, New Delhi-02

National Bal Bhavan has decided to sell/ dispose off its two condemn vehicles through public auction on 30.08.2017 at 3:00 p.m. as per following details :

Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase
Eicher Mitsubishi Mini Bus (34 Seater)	DL1V-4313	1998
Maruti Gypsy (08 Seater)	DL1VA-4697	2003

Other terms and conditions regarding this bid is available at our website www.nationalbalbhavan.nic.in.

Director, NBB

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली–02

राष्ट्रीय बाल भवन अपने दो रद्द वाहनों को बोलियों के आधार पर दिनांक 30.08.2017 को साय: 03:00 बजे निष्तारित करना चाहता है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

वाहन	वाहन न0	खरीद का वर्ष
Eicher Mitsubishi Mini Bus (34 Seater)	DL1V-4313	1998
Maruti Gypsy (08 Seater)	DL1VA-4697	2003

इस सम्बंध में अन्य शर्तो के लिए हमारी वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in. देखें।

निदेशक, रा0बा0भ0

National Bal Bhavan,
Kotla Road, New Delhi-02

National Bal Bhavan has decided to sell/ dispose off its two condemn vehicles through public auction on 30.08.2017 at 3:00 p.m. as per following details :

Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase
Eicher Mitsubishi Mini Bus (34 Seater)	DL1V-4313	1998
Maruti Gypsy (08 Seater)	DL1VA-4697	2003

1. The vehicles will be auctioned separately 'as is where is basis'.

2. Inspection of vehicles can be made between 9:30 a.m. to 5:00 p.m. on working days i.e. Tuesday to Saturday.

3. Interested bidders required to deposit bid security of Rs. 5,000/- in each case through Cash or Demand Draft in favour of Director, National Bal Bhavan.

4. The successful bidder shall have to deposit 25% payment against their bid as soon as the bid is over. In case of failure to deposit the 25% amount after adjusting the security money on the spot, if highest bidder does not accept the offer of sale of vehicle for any reason whatsoever it may be, and withdraws from the bidding, the EMD deposited by such bidder will be forfeited. The second highest bid amount may be considered for sale, if accepted by the auction committee of NBB and accordingly the second highest bid amount will be considered as the highest bid amount or respective vehicle may once again taken up for re-auction on the same day.

5. The vehicle will be delivered only after the receipt of full payment and has to be lifted within 07 days of completion of deal failing which ground rent at the rate of Rs.200/- per day will be charged.

6. The person authorized by bidder will be allowed to take the delivery. The bidders are required to produce any of documents as documentary evidence for proof of their address.

7. This office will not owe any responsibility for transfer of vehicle and for any other liability for using these vehicles for commercial or any other purpose after sale.

8. Once the release order issued, this office will not be responsible either for safe custody or for any loss or damage to the subject vehicle.

9. The highest bid once accepted is not transferable to anyone. In case the bidder is a company, the name of the company should be indicated as the bidder. In such cases the person appearing for the company should have the authorization letter in a proper format issued from a competent authority of the company.

10. The scheduled day for opening the sealed tenders, if declared to be holiday due to any reason unforeseen arise, the same will be opened the next immediate working day at 03.00 p.m.

11. The decision of the auction committee for all the purpose shall be final and binding.

12. The DIRECTOR, NBB reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reasons. The Director, NBB also reserves the right to withdraw the sale of vehicle(s) from the auction without assigning any reasons thereof. The decision of the DIRECTOR, NBB will be final in this regard during the process of this bidding.

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

राष्ट्रीय बाल भवन ने निम्न ब्यौरे के अनुसार 30.08.2017 को अपरान्ह 3:00 बजे सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से अपने दो कंडम वाहनों की बिक्री/ निपटान का निर्णय किया है :–

वाहन	वाहन सं0	खरीद वर्ष
आयशर मित्सुबिशी मिनी बस (34 सीटर)	DLIV-4313	1998
मारूति जिप्सी (08 सीटर)	DLIVA-4697	2003

1. वाहन 'जहाँ है – जैसे है आधार' पर अलग–अलग नीलाम किए जाएगें।

2. वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस अर्थात मंगलवार से शनिवार तक प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक किया जा सकता है।

3. बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रत्येक मामले में निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन के पक्ष में 5000/– रू की प्रतिभूति राशि नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी।

4. सफल बोली दाता को अपनी बोली की राशि का 25% बोली समाप्त होते ही जमा करानी होगी। यदि वह प्रतिभूति राशि के समायोजन के उपरान्त 25% राशि मौके पर जमा कराने में विफल रहता है, यदि उच्चतम बोलीदाता किसी कारणवश वाहन की बिक्री के प्रस्ताव को स्वीकार नही करता तथा बोली से हट जाता है, तो ऐसे बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। रा0बा0भ0 की नीलामी समिति द्वारा स्वीकार किए जाने पर द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले के मामले पर उच्चतम बोली राशि के रूप में वाहन बिक्री हेतु विचार किया जा सकता है अथवा संबंधित वाहन को उसी दिन पुनः नीलामी के लिए शुरू किया जा सकता है।

5. वाहन की सुपुर्दगी उसका पूर्ण भुगतान सम्पन्न होने के उपरान्त ही की जाएगी और सौदे के पूरा होने के 7 दिनों के भीतर वाहन को उठाना होगा, ऐसा न करने पर 250/– रू प्रति दिन की दर से ग्राउण्ड रेंट वसूला जाएगा।

6. बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को वाहन की सुपुर्दगी की अनुमति होगी। बोलीदाता को अपने पते के सबूत के लिए कोई दस्तावेज अथवा प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

7. वाहन के हस्तांतरण का बिक्री के उपरान्त वाहन को व्यावसायिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने का कोई दायित्व इस कार्यालय पर नही होगा।

8. एक बार सुपुर्दगी आदेश जारी होने के उपरान्त वाहन की सुरक्षित अभिरक्षा अथवा विषयान्तर्गत वाहन की किसी क्षति का दायित्व इस कार्यालय पर नही होगा।

9. एक बार उच्चतम बोली स्वीकार हो जाने पर वह किसी अन्य को स्थानंतरणयोग्य नही होगी। यदि बोलीदाता कोई कम्पनी है, तो कम्पनी की ओर से उपस्थित होने वाले व्यक्ति को उसके सक्षम प्राधिकारी से जारी समुचित फार्मेट में प्राधिकार पत्र अपने साथ लाना चाहिए।

10. मुहरबन्द निविदायें खोलने की अधिसूचित तिथि को किसी भी कारणवश अवकाश घोषित हो जाता है, तो निविदायें अगले ही कार्य दिवस को अपरान्ह 3:00 बजे खोली जाएगी।

11. नीलामी समिति का निर्णय सभी प्रयोजनों के लिए अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

12. निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन के पास बिना कोई कारण बताये किसी अथवा समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। निदेशक, रा0बा0भ0 के पास बिना कोई कारण बताये वाहन (वाहनों) की बिक्री को नीलामी से हटाने का निर्णय भी सुरक्षित है। बोली की प्रक्रिया के दौरान इस सम्बंध में निदेशक, रा0बा0भ0 का निर्णय अन्तिम होगा।